

# प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 19.11.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध  
असलहा व 01 अदद कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज के नेतृत्व में ३०नि० बैजनाथ बिन्द मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० ४१८/२०२५ धारा १०९(१) भा०न्या०सं० से संबंधित अभियुक्त शिवलाल साहनी को घटना में प्रयुक्त ०१ अदद अवैध असलहा ०.३१५ बोर व ०१ अदद जिंदा कारतूस ०.३१५ बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा ३/२५/२७ आम्स एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.11.2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक १३/१४.११.२०२५ की रात्रि में वादिनी के पति अपने घर के बरामदे में सोए हुए थे कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से वादिनी के पति के ऊपर गोली चलाया गया जिससे उनके पीठ पर दाहिने तरफ कंधे के पास चोट लग गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

शिवलाल साहनी पुत्र स्व० बिल्लर निवासी ग्राम गोड़सरी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

## आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० ४७/२०१५ धारा ३०२ भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० ११०/२०१५ धारा ३०२ भादवि बांसगांव थाना जवपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० ११२/२०१५ धारा ३/२५ आम्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० ११३/२०१५ धारा ३/५ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० ४१८/२०२५ धारा १०९(१) भा०न्या०सं० व ३/२५/२७ आम्स एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम-

- उ०नि० बैजनाथ बिन्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- उ०नि० अतुल राय थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- उ०नि० दीपक कुमार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- का० चन्दन खरवार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- का० राहुल यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर